

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वीरवार, 21 सितम्बर, 2006/ भाद्रपद 30, 1928 (शक)

संख्या-184

विषय: सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित, थाना अध्यक्ष, शकरपुर, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

"मुझे सहसम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि डा0 हर्ष वर्धन , माननीय सदस्य, दिल्ली विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत पुलिस थाना शकरपुर में दिनांक 20.09.06 को अपराहन 1.51 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन अपराहन 3.43 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)
Thursday, 21st September 2006/30 Bhadrapad 1928 (Saka)

No. 184

Sub : DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Shakarpur, Delhi.

“I have the honour to inform you that Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained U/S 65 of Delhi Police Act from Shakarpur Delhi at 1.51 P.M. on 20.09.2006 and was released at 3.43 P.M. from the same place on the same day.”

**Siddharath Rao
Secretary**